रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072025-265058
CG-DL-E-29072025-265058

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947
No. 461] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 504(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय, स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II), स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) और सवार हरकारा (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में स्टाफ कार चालको के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II), स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)।	**01*** (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400 से 112400 रू.)|	अचयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर—5 (29200 – 92300 रू.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I), जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है तथा सुसंगत क्षेत्र में एक से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हों। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200–92300 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I) की श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात:— (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए); और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): 1. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। - सदस्य| **टिप्पण:** जहां ऊपर क्रम संख्या 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, वहां मंत्रालय के भीतर या अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक समूह-क अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता|

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	**03***(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-5 (29200 से 92300 रू.)।	अचयन |	लागू नहीं होता |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं|	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं|**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो|**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता|	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा|**
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-**4** (25500 – 81100 रू.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II), जिन्होंने उस श्रेणी में 06 वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25500 – 81100 रू.) में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900– 63200 रू.) में स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) के रूप में संयुक्त रूप से 15 वर्ष सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा स्टाफ कारों की छोटी-मोटी मरम्मत करने के लिए मोटर तंत्र का अच्छा तकनीकी ज्ञान है और सुसंगत क्षेत्र में एक से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900—63200 रू.) में सवार हरकारा या स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) के रूप में नियमित आधार पर की गई सेवा को नियमित आधार पर तत्स्थानी वेतन स्तर में नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) के रूप में की गई सेवा समझा जाएगा।

	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500 – 81100 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् स्टाफ कार चालक (श्रेणी-॥) की श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए); और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे| **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना|	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा|**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक(प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता|

2. अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। - सदस्य| **टिप्पण:** जहां ऊपर क्रम संख्या 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, वहां मंत्रालय के भीतर या अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक समूह-क अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.स्टाफ कार चालक (श्रेणी-॥)|	**03*** (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500 से 81100 रू.)|	अचयन |	लागू नहीं होता |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900 – 63200 रू.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीण कर ली है तथा स्टाफ कारों की छोटी-मोटी मरम्मत करने के लिए मोटर यंत्र का अच्छा तकनीकी ज्ञान है और सुसंगत क्षेत्र में एक से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

	टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2(19900—63200 रू.) में सवार हरकारा या स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) के रूप में नियमित आधार पर की गई सेवा को नियमित आधार पर तत्स्थानी वेतन स्तर में नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) के रूप में की गई सेवा समझा जाएगा। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900 – 63200 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) की श्रेणी में नौ वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए); और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक(प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। - सदस्य| **टिप्पण:** जहां ऊपर क्रम संख्या 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, वहां मंत्रालय के भीतर या अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक समूह-क अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता |

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)|	**03***(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-2 (19900 से 63200 रू.)|	लागू नहीं होता |	18 से 27 वर्ष के बीच | (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश

					के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ii) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (iii) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए) (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (v) विहित ट्रेड परीक्षा में अर्हक। **वांछनीय:** अग्निवीर/ होमगार्ड/ सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के	लागू नहीं होता |	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। **टिप्पण 2**: स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) का एक पद माननीय संसदीय कार्य मंत्री के वैयक्तिक कर्मचारीवर्ग का भाग हैं।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन:** संसदीय कार्य मंत्रालय में वेतन स्तर -1 (18000 – 56900 रू.) में समूह-ग के नियमित कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास मोटर कार चलाने के लिए सक्षमता निर्धारण करने की चालन परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है तथा सुसंगत क्षेत्र में एक से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में नियमित आधार पर वेतन स्तर-2 (19900– 63200 रू.) में सवार हरकारा या स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) पद धारक या वेतन स्तर-1 (18000–56900 रू.) में समूह-ग के नियमित कर्मचारी जो स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। **सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए:** **प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन** सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक(प्रशासन) या उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से नामनिर्देशिती अवर सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। - सदस्य| **टिप्पण:** जहां ऊपर क्रम संख्या 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, वहां मंत्रालय के भीतर या अन्य मंत्रालय या विभाग से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक समूह-क अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 4/1/2024-प्रशासन]

मुकेश कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

G.S.R. 504(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs, Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver(Grade II), Staff Car Driver(Ordinary Grade) and Dispatch Rider (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely:—— \

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.— No person,—

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Special Grade).	**01*** (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 6 (Rs.35400 to 112400).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation.	**Promotion**: Staff Car Driver (Grade-I) in level-5 (Rs.29200—92300) in the pay matrix with three years' regular service in the grade and have successfully completed one to two weeks training in the relevant field. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: Officers under the Central or State or Union Territories Government.—— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

	(ii) with three years' service in the grade of Staff Car Driver (Grade-I) rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications, namely:—— (i) valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); and (iii) Tenth standard pass or equivalent from a recognised Board or Institution. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation): 1. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs - Chairman; 2. Director (Admn.) or Deputy Secretary (Admn.), Ministry of Parliamentary Affairs - Member; 3. Nominee of other Ministry or Department of the rank of Under Secretary or above - Member. **Note**: Where none of the members at S. No.1 to 3 above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group-'A' officer from either within the Ministry or other Ministry or Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

Name of the post	**Number of post**	**Classification.**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver (Grade-I).	**03*** (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 5 (Rs.29200 to 92300).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation.	**Promotion**: Staff Car Driver (Grade-II) in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with six years' regular service in the grade or with a combined service of 15 years as Staff Car Driver (Grade-II) in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix and have passed the trade test, specified by the Government and have sound technical knowledge of motor mechanism for carrying out minor repairs of the Staff Cars and have successfully completed one to two weeks training in the relevant field. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix either as Dispatch Rider or Staff Car Driver (Ordinary Grade) shall be deemed to be service rendered as Staff Car Driver (Ordinary Grade) from the initial date of appointment in the corresponding pay level on regular basis. **Deputation**: Officers under the Central or State or Union Territories Government.—— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade of Staff Car Driver (Grade-II) rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications, namely:— (i) valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); and (iii) Tenth standard pass or equivalent from a recognised Board or Institution. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

	Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary or Director (Admn.) or Deputy Secretary (Admn), Ministry of Parliamentary Affairs - Chairperson; 2. Under Secretary (Admn.), Ministry of Parliamentary Affairs - Member; 3. Nominee of other Ministry or Department of the rank of Under Secretary or above - Member. **Note**: Where none of the members at S. No.1 to 3 above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group-'A' officer from either within the Ministry or other Ministry or Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

Name of the post	**Number of post.**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Grade-II).	**03*** (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 4 (Rs.25500 to 81100).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation.	**Promotion**: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with nine years' regular service in the grade and have passed the trade

	test, specified by the Government and have sound technical knowledge of motor mechanism for carrying out minor repairs of the Staff Cars and have successfully completed one to two weeks training in the relevant field. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix either as Dispatch Rider or Staff Car Driver (Ordinary Grade) shall be deemed to be service rendered as Staff Car Driver (Ordinary Grade) from the initial date of appointment in the corresponding pay level on regular basis. **Deputation:** Officers of the Central or State or Union Territories Government — (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with nine years' service in the Staff Car Driver (Ordinary Grade) rendered after appointment thereto on a regular basis in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications, namely:— (i) valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); and (iii) Tenth standard pass or equivalent from a recognised Board or Institution. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary or Director (Admn.) or Deputy Secretary (Admn), Ministry of Parliamentary Affairs - Chairperson;	Not applicable.

2. Under Secretary(Admn.), Ministry of Parliamentary Affairs - Member; 3. Nominee of other Ministry or Department of the rank of Under Secretary or above - Member. **Note**: Where none of the members at serial number 1 to 3 above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group-'A' officer from either within the Ministry or other Ministry or Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	**03*** (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) pass in tenth standard or equivalent from a recognized Board or Institution; (ii) possession of a valid driving license for motor cars;	Not applicable.	Two Years for direct recruits or re-employed.

(iii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iv) experience of driving a motor car for at least 3 years; and (v) qualifying the prescribed Trade Test. Desirable: Three years' service as Agniveers or Home Guards or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 2:** One of the post of the Staff Car Driver (Ordinary Grade) is part of the personal staff of the Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	(11)
Deputation/ absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ Re-employment.	**Deputation/ Absorption** : From amongst the regular Group-'C' employees in pay level-1 (Rs.18000-56900) in the Ministry of Parliamentary Affairs with three years regular service in the grade who possess valid driving license for motor cars subject to the passing of a driving test to assess the competence to drive motor cars and have successfully completed one to two weeks training in the relevant field, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider or Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs.19900-63200) on regular basis or regular Group-'C' employees in pay level-1 (Rs.18000-56900) in other Ministries or Departments of the Central or State or Union Territory Government with three years regular service in the grade, who fulfill the essential qualifications specified in column (7). **For Armed Forces Personnel:** **Deputation/ Re-employment:** The Armed Forces Personnel, due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary or Director (Admn.) or Deputy Secretary (Admn), Ministry of Parliamentary Affairs - Chairperson; 2. Under Secretary(Admn.), Ministry of Parliamentary Affairs - Member; 3. Nominee of other Ministry or Department of the rank of Under Secretary or above - Member. **Note**: Where none of the members at S. No.1 to 3 above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group-'A' officer from either within the Ministry or other Ministry or Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

[F. No. 4/1/2024-Admn]

MUKESH KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.29 21:35:30 +05'30'